

# फर्द अहकाम

[ नियम 26 ]

दालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

राधा फिरोज

बनाम




रूपनारायण

स मुकदमा

हाथ

नं०

सन्

तारीख कम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4/2025	<p>पत्रावली पेश हुई / उभय पक्ष मय अधिवक्ता उप. / उभय पक्ष ने प्रकरण में राजीनामा पेश किया कि लोक अदालत की भावना से सब आपसी समझौता से होने पक्षों में इस प्रकार राजीनामा हुआ है कि आठवीं खसरा नम्बर 3635, 3636, 3637, 3638, 3639 वाले ग्राम मालाखेड़ा के वाहन वाहीगण व इसके परिवार किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं पक्ष अधिवक्ता में कोई प्रकरणा हथियार नहीं करेंगे [राजीनामा है आधार पर वाहीगण ने आगे वाह को नहीं चलाने का इफ्तन किया / पहाकालन के हस्ताक्षर कियाये गये / वाहीगण से पहचान की राजनसिद्ध ह. एवं प्रतिवाहीगण की पहचान की राहुल गुप्ता ह. ने की।</p> <p>अतः वाह वाहीगण वकूके राजीनामा खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल होकर नम्बर से कम हाथ वाह पूर्ण जमा लेख भोजन हो।</p>	<p>गिरिज प्रसाद शर्मा</p> <p>gdy Shreyansh An.</p> <p>माननी अति देहिमल</p> <p>मोहन शर्मा</p>  <p>21/6/2025</p>  <p>प्रमथरा</p> <p>शीला शर्मा</p> <p>मनीरमा</p> <p>J.D.</p> 

उपखण्ड अधिकारी  
मालाखेड़ा (अदालत)